तारी
इस
में जारी

प्रकरण संख्या 09/2024

अनवान हरविन्द्र कौर बनाम महेन्द्र वगैरा

15/5/2024

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ताओ ने भूमि के बदले भूमि पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। मुताबिक सहमति चक 8 बीजीपी प.न. 200/154 मु.न. 44 किला नम्बर 1/0.013, 10/0.013, 11/0.013, 20/0.013, 21/0.013, प.न. 200/155 मु.न. 49 के किला नम्बर 1/0.013, 10/0.025, 11/0.025 है.गै.मु.रास्ता किलो की पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन के चिपते स्वीकृत कर गै.मु.दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है और इसके बदले में अप्रार्थी संख्या 4 का 0.075 है. रकबा जिससे अप्रार्थी का खेत खराब न हो इसलिए प.न. 200/154 मु.न. 44 किला नं. 20 से कम कर किला नम्बर 11 के चिपता रकबा (नव स्वीकृत रास्ते के सामने की आराजी को छोडकर) अप्रार्थी 1 व 2 के नाम बहिब दर्ज किये जांने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया